न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 01/2018

बउनवान

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जरिये प्रभारी मदिरालय श्री दयाशंकर पाण्डेय, बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1–श्री योगेश कुमार वर्मा पुत्र श्री ताराचन्द जाति–खटीक निवासी–कृष्णा कॉलोनी, पुलिस थाने के पीछे,छीपाबडौद जिला–बारां (राज.) **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री मनोज कुमार जैन,अभिभाषक **(प्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 16.03.2020

1– प्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी के विरूद्व विभागीय गबन की राशि समायोजित करने के उपरान्त 2,84,662/–रूपये मय आगे का ब्याज व खर्चे काबिल वसूली योग्य है। इसलिये अप्रार्थी से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत उक्त राशि वसूल करने के आदेश पारित किये जावे। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मदिरा डिपो छीपाबडौद में अवधि अगस्त–2013 से नवम्बर–2013 के मध्य सरकारी गबन व अनियमितता हुयी है उक्त अवधि के दौरान मदिरा डिपो छीपाबडौद पर श्री अशोक कुमार चौरसिया सहायक प्रबंधक–II प्रभारी के पद पर तैनात थे। श्री चौरसिया के कार्यकाल में वास्तविक रूप से उनका सभी कार्य अप्रार्थी श्री योगेश वर्मा श्रमिक द्वारा सम्पादित किया जा रहा था तथा डिपो की चाबियॉ भी श्री वर्मा के पास हीं रहती थी। श्री चौरसिया मदिरा डिपो छीपाबडौद पर महिने में एक या दो बार हीं आते थे। श्री चौरसिया की मृत्यु दिनांक 02.11.2013 को होने पर अप्रार्थी श्री वर्मा ने गोदाम छीपाबडौद के माह अगस्त–2013 से नवम्बर–2013 तक के रेकार्ड में कॉट–छॉट एवं ओवर राईटिंग कर विभिन्न प्रकार की मदिर का स्टॉक कम कर दिया है, जिसकी बिक्री नहीं हुयी थी। कॉट–छॉट का विवरण निम्नानुसार है–

क्र0सं0	माह का नाम	किस्म मदिरा	संख्या (केसेज में)	कीमत (रूपयों में)
1	अगस्त–13	घूमर 50 यूपी	191	63030
2	सितम्बर–13	जीएसएम 40 यूपी	352	124960
3	सितम्बर–13	जीएसएम 50 यूपी	78	25740
4	सितम्बर–13	बादशाह 50 यूपी	55	18150
5	सितम्बर–13	घूमर पेट 40 यूपी	12	4260
6	सितम्बर–13	घूमर पेट 40 यूपी	156	55380
7	सितम्बर–13	घूमर पेट 50 यूपी	22	7260
8	अक्टूबर–13	बादशाह नेशनल 50	16	5280
9	अक्टूबर–13	घूमर 40 यूपी	72	25560
10	अक्टूबर–13	घूमर 50 यूपी	[illegible]	32340

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

11	अक्टूबर–13	जीएसएम 40 यूपी	597	211935
12	अक्टूबर–13	जीएसएम 50 यूपी	50	16500
13	अक्टूबर–13	घूमर 40 यूपी	353	125315
14	अक्टूबर–13	घूमर 50 यूपी	72	23760
15	नवम्बर–13	ढालामारू 40 यूपी	20	7100
कुल योग			2144	7,46,570

इस प्रकार अप्रार्थी ने अपने निजी स्वार्थ सिद्धि हेतु राजकीय कोष का गबन किया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य संस्थान तथा आबकारी विभाग को आर्थिक हानि पहुॅचाने की परिभाषा में आने पर, विभागीय स्तर पर अप्रार्थी को दोषी मानकर, अप्रार्थी श्री वर्मा से उक्त गबन राशि 2,84,662/–रूपये वसूल करने हेतु जन मॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत रिक्वीजेशन प्रस्तुत कर, उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा बाकीदार/अप्रार्थी के विरूद्व 2,84,662/–रूपये बकाया होने पर अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 01.03.2019 को धारा–4(प्रपत्र–2) में राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के तहत राशि 2,84,662/–रूपये काबिल वसूल होने के संबंध में प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

3– अप्रार्थी को राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत धारा–6 (प्रपत्र–3) में पत्रांक 209 दिनांक 01.03.2019 से इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आपके विरूद्व इस न्यायालय में जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत रिक्वीजेशन(प्रमाणपत्र) विचाराधीन है, यदि आप उक्त बकाया राशि 2,84,662/– रूपये बकाया होने से इन्कार करते है तो आप इस नोटिस की तारीख जब आपको मिले, उस तारीख से 30 दिवस के अन्दर बकाया इन्कारी की याचिका मय आवश्यक दस्तावेज के पेश करे, यदि आप उचित कारण बताने में असमर्थ रहे तो आपसे उक्त राशि की वसूली राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट,1952 के तहत मूल रकम मय ब्याज 13 प्रतिशत व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित एक मर्तबा में वसूल की जावेगी। जब तक आप रूपये 2,84,662/–रूपये मय ब्याज व कलेक्शन चार्जेज सहित जमा नहीं करा देवे, तब तक आपको अपनी चल–अचल सम्पत्ति या उसका भाग बेचान,दान अथवा अन्य किसी भी तरीके से खुर्द–बुर्द कराने अथवा हस्तान्तरित करने से रोका जाता है। यदि इस बीच में या आपको जब से नोटिस मिले, तब से आपने अपनी जायदाद को छिपाने, हटाने व बेचने की कोशिश की तो इस प्रमाणपत्र का तत्काल निष्पादन कर दिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी। नोटिस के साथ प्रमाणपत्र धारा–4 राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न की गयी।

4– न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस 01.03.2019 मय प्रमाणपत्र जर्ये तहसीलदार, छीपाबडौद तामील हेतु भेजने पर, अप्रार्थी को दिनांक 17.03.2019 को नोटिस व्यक्तिशः तामील हुआ है। तामीली नोटिस बाद तामील दिनांक 19.03.2019 को प्राप्त हुआ है, जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी ने नोटिस की तामील होने के बावजूद न्यायालय हाजा में अभी दिनांक तक उपस्थिति दी। ना हीं इन्कारी की याचिका या जवाब प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

5—　　　प्रकरण में प्रार्थी प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमि0 मदिरालय, बारां ने प्रार्थनापत्र दिनांक 14.08.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण अप्रार्थी की तलबी स्तर पर लंबित है। जबकि अप्रार्थी योगेश कुमार वर्मा को प्रकरण में पेशी की जानकारी है क्योकि अप्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट याचिका संख्या 8685 / 19 उनवान योगेश कुमार बनाम राजस्थान स्टेट गंगानगर शुमर मिल्स व अन्य दायर की है जिसमें कोई स्थगन नहीं दिया है। इसलिये वसूली आदेश पारित किये जावे।

6—　　　प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय,जयपुर में दायर रिट याचिका संख्या 8685 / 19 का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अप्रार्थी ने रिट में उक्त वसूली नोटिस का प्रेयर में उल्लेख किया है तथा अप्रार्थी को नोटिस दिनांक 01.03.2019 की प्रोपर तामील हुयी है। इससे जाहिर होता है कि अप्रार्थी को न्यायालय से जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत जारी प्रमाणपत्र व नोटिस की पूर्ण व स्पष्ट जानकारी है। इसके बावजूद अप्रार्थी ना तो न्यायालय में उपस्थित हुआ है ना हीं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी ने न्यायालय कार्यवाहीं में सहयोग प्रदान नहीं कर, आदेश की अवहेलना की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की तामील मानते हुये प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी।

7—　　　बहस के दौरान विद्वान प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 बारां एक सरकारी उपक्रम है जिसमें मदिरा डिपो छीपाबडौद पर श्री अशोक कुमार चौरसिया सहायक प्रबंधक—ाा प्रभारी के पद पर तैनात थे। श्री चौरसिया के कार्यकाल में मदिरा निकासी करने, रेकार्ड भरने, परमिटो को चढाने आदि / डाटाफिडिंग का कार्य वास्तविक रूप से अप्रार्थी श्री योगेश वर्मा श्रमिक द्वारा सम्पादित किया जा रहा था तथा डिपो की चाबियॉ भी श्री वर्मा के पास हीं रहती थी। श्री चौरसिया मदिरा डिपो छीपाबडौद पर महिने में एक या दो बार हीं आते थे। इस प्रकार कम्पनी के छीपाबडौद डिपो का मदिर इश्यू का समस्त कार्य तथा प्रकिया, कम्प्यूटर सिस्टम पर कार्य सहित समस्त कार्यालय कार्य अप्रार्थी द्वारा सम्पादित किये गये है। अप्रार्थी द्वारा अगस्त—2013 से नवम्बर—2013 की अवधि में रेकार्ड में कॉट—छॉट कर 2144 केसेजो की हेराफेरी कर अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिये कम्पनी की मदिर का मूल्य 7,46,570 / —रूपये का गबन कर वित्तीय हानि एवं सम्भावित आबकारी शुल्क लगभग 12.38 लाख का नुकसान पहॅुचाया है यानि गबन किया है।

8—　　　मदिर डिपो छीपाबडौद के प्रभारी श्री अशोक कुमार चौरसिया का दिनांक 02.11.2013 को निधन होने पर, अप्रार्थी श्री वर्मा ने गोदाम छीपाबडौद के माह अगस्त—2013 से नवम्बर—2013 तक के रेकार्ड में कॉट—छॉट एवं ओवर राईटिंग कर विभिन्न प्रकार की मदिर का स्टॉक कम किया है जबकि नियम तथा प्रकिया के अनुसार बिकी हुयी हीं नहीं। अप्रार्थी ने श्री चौरसिया की मृत्यु होने का फायदा उठाते हुये रेकार्ड के खाते में कुल 2144 कार्टूनो का विकय इस उद्धेश्य के लिये दिखाया कि उक्त कमी चौरसिया के नामे रह जायेगी ओर उसपर गबन का कोई आरोप नहीं लगेगा। गबन उजागर होने पर विभा[illegible] गहन जॉच करायी गयी। जिसमें पाया है कि अप्रार्थी ने अपने निजी स्[illegible] हेतु राजकीय कोष का

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

गबन किया है। अप्रार्थी ने प्रभारी के निधन होने पर परिस्थितियों का अनैतिक तथा अवैधानिक दुरूपयोग कर, धोखाधडी की है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य संस्थान तथा आबकारी विभाग को आर्थिक हानि पहुॅचाने की परिभाषा में आता है। विभागीय स्तर पर अप्रार्थी को दोषी मानकर, अप्रार्थी श्री वर्मा से उक्त गबन राशि 2,84,662/–रूपये वसूल करने का निर्णय किया गया है। इसी आधार पर जन मॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरूद्व उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

9– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया। जिससे पाया जाता है कि अप्रार्थी योगेश कुमार वर्मा श्रमिक (आपरेटर) के पद पर मदिर डिपो छीपाबडौद राजस्थान स्टेट गंगानगर शुमर मिल्स लि0 में अस्थाई रूप से कार्यरत रहा है। इसके द्वारा श्री अशोक कुमार चौरसिया सहायक प्रबंधक,छीपाबडौद का कार्य उनकी देखरेख या अनुपस्थिति में सम्पादित किया जाता रहा है। श्री वर्मा द्वारा हीं मदिरा निकासी करने, रेकार्ड भरने, परमिटो को चढ़ाने एवं डाटाफिंडिंग व कम्प्यूटर संबंधी कार्य सम्पादित किया जाता रहा है। जैसा हीं पत्रावली व जॉच रिपोर्ट दिनांक 15.03.2016 व विभागीय पत्रादि के अवलोकन से विदित होता है कि अप्रार्थी ने प्रभारी मदिरा डिपो,छीपाबडौद श्री अशोक कुमार चौरसिया का दिनांक 02.11.2013 को निधन होने पर, अप्रार्थी द्वारा माह अगस्त–2013 से नवम्बर–2013 की अवधि के रेकार्ड में कॉट–छॉट एवं ओवर राईटिंग कर, विभिन्न प्रकार की मदिरा का स्टॉक कम किया गया है, जिसकी बिक्री हीं नहीं हुई है। श्री वर्मा ने उक्त अवधि के दौरान रेकार्ड में कॉट–छॉट इस उद्धेश्य से की है कि उक्त कमी चौरसिया के नाम हीं रह जायेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री वर्मा द्वारा माह अगस्त–2013 व नवम्बर–2013 की अवधि के मध्य अपने निजी स्वार्थ सिद्धी के लिये रेकार्ड में 2144 कैसेज की हेराफेरी कर कम्पनी को मदिरा मूल्य 7,46,570/–रूपये का गबन कर, वित्तीय हानि या नुकसान पहुॅचाया गया है। विभाग स्तर पर अप्रार्थी से उक्त गबन की समायोजित राशि 2,64,662/–रूपये मय ब्याज व अन्य खर्चे वसूल करने हेतु रिक्वीजेशन प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत रिक्वीजेशन प्रमाणपत्र काबिज वसूली योग्य पाया जाता है।

10– परिणामस्वरूप, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री योगेश कुमार वर्मा पुत्र श्री ताराचंद जाति–खटीक निवासी कृष्णा कॉलोनी पुलिस थाने के पीछे, छीपाबडौद से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 2,84,662/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा–4 प्रभारी, मदिरालय राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 बारां जिला–बारां को भिजवाया जावे। निर्णय की प्रति जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 16.03.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested